–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 138/2019

उनवान

1. राधा पत्नी माधु
2. कमलेश पुत्री माधु
3. रामप्यारी पुत्री माधु
4. संतोष पुत्री माधु
5. बदाम पुत्री माधु
6. सत्यनारायण पुत्र माधु
7. शंकर पुत्र माधु
8. महेन्द्र पुत्र माधु समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद

––वादीगण :–जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. गीता पुत्री माधु
2. कैलाश पुत्र माधु
3. गोपाल पुत्र बैरवा
4. गोलू पुत्र सुगना
5. हरजी पुत्र ज्वारा
6. श्रीकिशन पुत्र ज्वारा
7. पूसा पुत्र सुगना
8. भगवान पुत्र रामदेव
9. मिश्री पुत्र सुगना, समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
10. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इंडिया शाखा कानुपरा, नसीराबाद
11. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 10 अनुपस्थित 11 जरियें राज. पैरोकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 20.11.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा के खाता संख्या 619/392 किता 3 रकबा [illegible] 415/393 किता 3 रकबा 0.17 व हाल खसरा नम्बर 4309 रकबा 0.30 की आराजी वादीगण [illegible] वादीगण की पुश्तैनी सहखातेदारी सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी [illegible] अभिलेख में विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर [illegible] में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:17:11 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कियाजावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये। व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किय।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकेार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति/पिता व शेष प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादीगण ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में जवाब नही पेश किया गया है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम कानपुरा के खाता संख्या 619/392 किता 3 रकबा 0.91, 415/393 किता 3 रकबा 0.17 व हाल खसरा नम्बर 4309 रकबा 0.30 आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:17:11 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

राधा बनाम गीता

दावा बाबत :– 53, 88 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 138/2019
पेश करने की दिनांक – 05.12.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज. पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानपुरा के खाता संख्या 619/392 किता 3 रकबा 0.91, 415/393 किता 3 रकबा 0.17 व हाल खसरा नम्बर 4309 रकबा 0.30 आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 11 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:17:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद